



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI/2017-18/94

DBR.AML.No.4802/14.06.056/2017-18

नवेम्बर 16, 2017

तमाम नियंत्रित संस्थाओ

प्रिय महोदय / महोदया,

उमोड्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ओफ़ कोरिया ने संबंधित UNSCR 2356 (2017), UNSCR 2371(2017)

अने UNSCR 2375 (2017) नुं अमलीकरण

कृपा करीने उमोड्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ओफ़ कोरिया परना युनाईटेड नेशन्स सिक्योरीटी काउन्सिल रेसोल्युशन 2356 (2017), 2371 (2017) अने 2375 (2017) ना अमलीकरण अंगेना विदेशी बाहतोना मंत्रालय द्वारा 31 ओक्टोबर 2017 ना रोज़ जारी करेव अने भारत सरकार ना गेज़ेट मां प्रकाशित करेव "लुकम" नी संलग्न नकल नो संदर्भ ज़ुओ.

2. नियंत्रित संस्थाओ (REs) गेज़ेटमां प्रकाशित अधिसूचना (नोटीफ़िकेशन) नी नोंध ले अने तेनुं अनुपालन सुनिश्चित करे.

आपनो विश्वासु,
Sd/
(डॉ. एस. के. कार)
मुख्य महाप्रबंधक

बेन्कींग विनियमन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय भवन, 13मो माण, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई-400001 फोन: 022-22701203, फैक्स: 022-22701239, ई-मेल: cgmaml@rbi.org.in, वेबसाइट: www.rbi.org.in Department of Banking Regulation, Central Office, Central Office Building, 13th Floor, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai – 400 001